UPJS010028502020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

उपस्थितः- जयतेन्द्र कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J. O. Code - UP 5983

CNR NO- UPJS01- 002850- 2020

सत्र वाद सं- ४९३/ २०२०

सरकार **बनाम** **राजू दीक्षित उर्फ चन्द्रप्रकाश।**

मु. अ. सं. - ७१/ २०२०

धारा- ३२३, ५०४, ५०६, ३०६, भा. द. सं.

थाना- मोंठ, जिला- झाँसी।

दिनांक- ०२- ०२- २०२३

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या- २७बी/ १ लगायत २७बी/ २

अन्तर्गत धारा- ३१९ दं०प्र०सं०

१- वादी मुकदमा एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण को एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

२- वादी मुकदमा माधव सिंह द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, झाँसी की ओर से प्रार्थनापत्र कागज संख्या- २७बी/ १ लगायत २७बी/ २ इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वादी की तहरीर के आधार पर थाना मोंठ की पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा- ३०६, ३२३, ५०४, ५०६ भा०दं०सं० में अभियुक्तगण अमन पण्डित पुत्र बबलू पण्डित, राजू पण्डित पुत्र सीताराम, बब्लू पण्डित पुत्र सीताराम समस्त निवासीगण ग्राम रेंव थाना मोंठ जिला झाँसी के खिलाफ नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रार्थी/ वादी ने उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्तगणों उपरोक्त के विरूद्व नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें थाना मोंठ की पुलिस ने मुल्जिमान का पक्षपात करते हुए राजनैतिक दबाव के कारण केवल राजू दीक्षित उर्फ चन्द्रप्रकाश के विरूद्व आरोपपत्र धारा- ३०६, ३२३, ५०४, ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत भेजा गया, जिसमें अभियुक्त राजू दीक्षित उर्फ चन्द्रप्रकाश के विरूद्व मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। मुल्जिमान अमन पण्डित व बबलू पण्डित के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गयी, न उन्हें गिरफ्तार किया गया है और न ही उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। मारपीट, जान से मारने की धमकी देने एवं आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने में सभी अभियुक्तगण का सम्मिलित होना साक्ष्य से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रकरण में साक्षी पी०डब्लू०- १ वादी माधो पाल पुत्र ताती पाल के बयान दर्ज हो चुके हैं तथा उपरोक्त गवाह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन करते हुए न्यायालय के समक्ष दिये हुये अपने बयानों में सभी तीनों अभियुक्तों अमन पण्डित, बबलू पण्डित व राजू पण्डित उर्फ चन्द्रप्रकाश की उपरोक्त प्रकरण में बराबरी से संलिप्तता बताई गई है। वादी मुकदमा द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियुक्तगण अमन पण्डित पुत्र बबलू पण्डित, बबलू पण्डित पुत्र सीताराम को धारा- ३१९ जा०फौ० के प्रावधानों के तहत तलब करके मुकदमा चलाये जाने का आदेश पारित करने की याचना की है।

३- **वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान**

Digitally signed by JAITENDRA KUMAR
Date: 2023.02.02 14:48:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। फलस्वरूप अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

४- वादी मुकदमा माधव सिंह ने अपनी हस्तलिखित तहरीर प्रदर्श क- १ में यह उल्लेख किया है कि दिनांक १८- ०४- २०२० को समय करीब ६ बजे शाम को मेरे लड़के अजय पाल को मेरे गाँव के अमन पण्डित अपने दरवाजे पर ले जाकर उसके साथ राजू पण्डित, बबलू पण्डित ने गाली- गलौज तथा मारपीट कर धमकी भी दी थी। उस समय मेरे गाँव के दीपू, जसवन्त तथा प्रेमशंकर मौजूद थे जिन्होनें घटना को देखा था और अजय को घर ले आये थे। दूसरे दिन उन लोगों की धमकी व भय से तंग आकर मेरा लड़का घर से चला गया था। दिनांक २१- ०४- २०२० को झाँसी में सखी के हनुमान के पास पेड़ में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मेडीकल कॉलेज में जाकर देखा व पहचाना तथा पोस्टमार्टम के बाद शव का अन्तिम संस्कार किया। अमन, बबलू व राजू पण्डित के उत्पीड़न से तंग आकर मेरे लड़के ने आत्महत्या की है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाहान के बयान अंकित कर आत्महत्या टिप्पड़ एवं सुसंगत अभिलेख संकलित कर विवेचना से सन्तुष्ट होकर अभियुक्त राजू उर्फ चन्द्रप्रकाश दीक्षित के विरूद्व आरोपपत्र अन्तर्गत धारा- ३२३, ५०४, ५०६, ३०६ भा०दं०सं० प्रेषित किया गया। आरोपीगण अमन दीक्षित एवं बबलू दीक्षित की नामजदगी गलत पाते हुये, उपरोक्त मामले की विवेचना जरिये सी०डी० १७ समाप्त की गई।

५- धारा- ३१९ दं०प्र०सं० एक ऐसा विशेष उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का भी विचारण अभियुक्तों के साथ कर सकें जो पहले से अभियुक्त न बनाया गया हो। न्यायालय उक्त धारा के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में जोड़ सकता है जिसके द्वारा अपराध किया गया प्रतीत हो। यह उपबन्ध इस सिद्धान्त पर आधारित है कि न्यायालय सम्पूर्ण अपराध का संज्ञान करता है।

६- अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने के पूर्व यह उचित प्रतीत होता है कि धारा- ३१९ दं०प्र०सं० के अधीन किसी व्यक्ति को तलब करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये निर्देशों का उल्लेख किया जाये जिससे विधिक स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रहे। **सरवजीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य २००९ ए०सी०सी०(६६) एस०सी०- ३२** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय का समाधान इस विस्तार तक होना है कि यदि अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री/ साक्ष्य यदि अखण्डित रहता तो वह दोषसिद्वि के निर्णय को ही निर्दिष्ट करेगा। माननीय उच्चतम न्यायलय की संविधान पीठ द्वारा **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (२०१४) ३ एस०सी०सी० ९२** के मामले उपरोक्त विधि सिद्धान्त को समाप्त कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने उपरोक्त हरदीप सिंह के मामले में सम्प्रेक्षण किया गया है जो निम्नवत उदघृत किया जाता है-

पैरा- ९८- दं०प्र०सं० की धारा- ३१९ के अधीन शक्ति वैवेकिक एवं असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग कभी- कभार ही और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिये, जहाँ मामले की परिस्थितियाँ ऐसी अपेक्षा करती हैं। इसका प्रयोग मात्र इसलिये नहीं किया जाना हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की यह राय है कि कुछ अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को कारित करने के दोषी हो सकेंगे। **केवल वहीं, जहाँ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये साक्ष्य से ठोस एवं अकाट्य साक्ष्य व्यक्ति के विरूद्व होता है, ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिये, न की सामान्य एवं सरसरी रीति में।**

पैरा- ९९- इस प्रकार, हम यही अवधारित करते हैं कि यद्यपि केवल प्रथम दृष्टया मामला ही न्यायालय के समक्ष पेश किये गये साक्ष्य से साबित किया जाना है, जिसका आवश्यक रूप से

परीक्षण प्रतिपरीक्षा के आधार पर नहीं किया जाना है, क्योंकि यह उसकी सहअपराधिता की केवल सम्भाव्यता की अपेक्षा अधिक कठोर साक्ष्य की अपेक्षा करता है। जो परीक्षण लागू किया जाना है, वह ऐसा परीक्षण है, जो आरोप विरचित करने के समय यथा प्रयुक्त प्रथम दृष्टया मामले से अपेक्षाकृत अधिक है, किन्तु उस सीमा तक के समाधान से कम है, जो साक्ष्य, यदि अखण्डित रह जाता है, दोषसिद्धि को ही निर्दिष्ट करेगा। ऐसे समाधान के अभाव में, न्यायालय को दं०प्र०सं० की धारा- ३१९ के अधीन शक्ति का प्रयोग करने से प्रविरत रहना चाहिये। दं०प्र०सं० की धारा- ३१९ में यह प्रावधान करने का प्रयोजन ' 'यदि साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई अपराध कारित किया है, " शब्दों ' 'जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का विचारण अभियुक्त के साथ किया जा सकता था' 'से ही स्पष्ट है। प्रयुक्त शब्द ' 'जिसके लिये ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया जा सकता था' ' नहीं है। **इसलिये, अभियुक्त के दोष के सम्बन्ध में कोई राय निर्मित करने के लिये दं०प्र०सं० की धारा- ३१९ के अधीन कार्य करते हुये न्यायालय के लिये कोई गुंजाइश नहीं है।**

पैरा- १००- जोगिन्दर सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं एक अन्य, ए०आई०आर०- १९९७ एस०सी० ३३९ में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अवधारित किया था कि इस तर्क के सम्बन्ध में, कि दं०प्र०सं० की धारा- ३१९ में आने वाली पदावली ' 'कोई व्यक्ति, जो अभियुक्त नहीं है' 'अपने प्रवर्तन से उस अभियुक्त को अपवर्जित करता है, जिसे दं०प्र०सं० की धारा- १६९ के अधीन पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है और उसे आरोपपत्र के स्तम्भ- २ में दर्शित किया गया है, तर्क को केवल नामंजूर ही किया जाना चाहिये। उक्त पद स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को भी आच्छादित करता है, जिसका पहले से ही विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है और ऐसे प्रावधान, जैसें दं०प्र०सं० की धारा- ३१९(१) को अधिनियमित करने का मूल प्रयोजन स्पष्ट रूप से यही दर्शित करता है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्हें अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है या जिनके विरूद्व अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शित करने वाला साक्ष्य दाण्डिक न्यायालय के समक्ष आता है, उक्त पद में शामिल है।

७- एस० मोहम्मद इस्पाहनी बनाम योगेन्द्र चाण्डक एवं अन्य, २०१७(४) सी०सी०एस०सी०- २१३१ (एस०सी०) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है धारा- ३१९ विचारण का सामना करने के लिये अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करना। दं०प्र०सं० की धारा- ३१९ के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल न्यायालय में अभिलिखित साक्ष्य पर ही किया जा सकता है, न कि अन्वेषण प्रक्रम पर एकत्रित साम्रगी पर जिसका पहले ही परीक्षण दं०प्र०सं० की धारा- १९० एवं धारा- २०४ के अधीन आदेशिका जारी करने के प्रक्रम पर किया जा चुका है। धारा- १६१ के अधीन अभिलिखित कथनों पर स्वतन्त्र साक्ष्य होने के रूप में विश्वास व्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं है। वह केवल सम्पोषक साम्रगी ही हो सकती है। इसी क्रम में **मणि पुष्पक जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य २०२०(१) सी०सी०एस०सी०- ५४९ (एस०सी०)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि दं०प्र०सं० धारा- ३१९ अतिरिक्त अभियुक्त को समन करना- धारा- ३१९ के अधीन शक्ति का प्रयोग- केवल वहीं जहाँ ठोस Cogent एवं तर्कसंगत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से व्यक्ति के विरूद्व सम्मुख आते हैं, धारा- ३१९ के अधीन उस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए- धारा- ३१९ के अधीन शक्ति का प्रयोग आकस्मिक एवं सामान्य ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। इसी क्रम में **सागर बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य (२०२२) २ सुप्रीम कोर्ट केसेस (कि०) ५९७** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा- ३१९ दं०प्र०सं० की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को सावधानी दोहराई गई है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत व ठोस सबूत होने पर ही धारा- ३१९ दं०प्र०सं० के अधीन अभियुक्त के रूप में जोड़ा जाना चाहिये। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एवं उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं में यह

विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दं०प्र०सं० की धारा- ३१९ के अधीन किसी व्यक्ति को न्यायालय में तलब कर सुनवाई प्रक्रिया में तभी शामिल किया जाये यदि उस व्यक्ति के विरूद्व ठोस अकाट्य एवं तर्कसंगत साक्ष्य है। इस शक्ति का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

८- माननीय न्यायालय की उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं के आधार पर अब जहाँ तक दं०प्र०सं० की धारा- ३१९ के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय के समाधान का सम्बन्ध है तो इसे आरोप विरचित करने के मामले में प्रथम दृष्टया वाद जितना अपेक्षित है उसकी अपेक्षा तक वृहद स्तर का होना चाहिए। इस प्रकार न्यायालय का समाधान अभियुक्त के विरूद्व आरोप तय करने के समय प्रयोग किये गये, प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक सन्तुष्टि से कम है कि अगर साक्ष्य अखण्डित हो जाता है तो दोषसिद्व हो जायेगा।

९- धारा- ३०६ भा०दं०सं० के अपराध हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये निर्देशों का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है- **पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल (१९९४) १ एस०सी०सी ७३** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक सिद्धन्त प्रतिपादित करते हुये यह चेतावनी दी थी कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और विचारण में पेश किए गए साक्ष्य का इस निष्कर्ष के प्रयोजन से अत्याधिक सावधान रहना चाहिए कि क्या पीड़ित के प्रति बरती गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या कारित करके जीवनलीला समाप्त करने के लिये उत्प्रेरित किया था। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या कारित करने वाला पीड़ित सामान्य चिड़चिड़ापन घरेलू जीवन में असहमति और मतभेद के प्रति अति संवेदनशील जो उस समय में साधारणतया सामान्य बात होती है जिससे पीड़ित सम्बन्धित है और ऐसे चिड़चिड़ेपन असहमति और मतभेद के वर्णित समाज में समान स्थिति में रहने वाले व्यक्ति को आत्महत्या कारित करने को उत्प्रेरित करने के लिये प्रत्याशा नहीं की जाती तो न्यायालय की अन्तसचेतना का इस निष्कर्ष को आधारित करने के लिये समाधान नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध को दुष्प्रेरित करने के लिए आरोपित अभियुक्त को दोषी पाया जाना चाहिये। इसी क्रम में **रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (२००४) १३ एस०सी०सी०- १२९** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उत्प्रेरण में व्यक्ति को उकसाने की मानसिक प्रक्रिया का किसी ढंग में कोई चीज करने में उस व्यक्ति की सहायता करना अन्तर्ग्रस्त होता है। न्यायालयो को चाहिए कि वे तत्सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक यह विनिश्चय करने के पूर्व प्रत्येक मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या जो निर्दयता पीड़िता के प्रति कर दी गयी थी, जो वह आत्महत्या कारित करने के लिए उत्प्रेरित करती है। इसी क्रम में **मनकम्मा बनाम केरल राज्य २००९ (३) सी०सी०एस०सी० १६१० (एस०सी०)** के मामले में कहा गया है कि भा०दं०सं० की धारा- ३०६ के अधीन अपराध के मामले में न्यायालय उससे कठोर साक्ष्य की प्रत्याशा करेगा, जो कुछ पेश किया जाता है। अर्थात भा०दं०सं० की धारा- ३०६ के अधीन अपराध साबित करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक दृण साक्ष्य की अपेक्षा होती है। इसी क्रम में **मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य २०१०(३) सी०सी० एस०सी० १४८२ (एस०सी०)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षण किया है कि भा०दं०सं० की धारा- ३०६ के अधीन अपराध साबित करने के क्रम में उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप सम्बद्ध व्यक्ति की आत्महत्या को साबित करने के लिये आशय सहित अभियुक्त की ओर से विनिर्दिष्ट दुष्प्रेरण की भी अपेक्षा की जाती है, जैसा कि भा०दं०सं० की धारा- १०७ द्वारा अनुध्यात हैं। आत्महत्या कारित करने के लिये मृतक की सहायता करने या को उकसाने या दुष्प्रेरित करने के लिये अभियुक्त का आशय भा०दं०सं० की धारा- ३०६ के अधीन इस विशिष्ट अपराध के लिये आवश्यक है। इसी क्रम में **एस०एस० छीना बनाम विजय कुमार महाजन एवं एक अन्य (२०१०) १२ एस०सी०सी० १९०** के मामले में मृतक पर मोबाइल चोरी का मिथ्या आरोप में फँसाये जाने पर मृतक

द्वारा आत्महत्या टिप्पड़ (Suicide Note) लिखने के उपरान्त ट्रेन से कटकर मृतक ने आत्महत्या की थी। उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दुष्प्रेरण में किसी चीज को करने में व्यक्ति को उकसाने का साशय व्यक्ति की सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त होती है। आत्महत्या कारित करने की उकसाने या में सहायता करने के लिये अभियुक्त की ओर से हुए सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्ध को कायम नहीं रखा जा सकता। विधान मण्डल का आशय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामलों का सार यही है कि भा०दं०सं० की धारा- ३०६ के अधीन व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के क्रम में अपराध कारित करने का स्पष्ट दुराशय होना चाहिये। यह ऐसे सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी अपेक्षा करता है, जो मृतक को कोई अन्य विकल्प न पाकर आत्महत्या कारित करने के लिये उत्प्रेरित करता हो और वही कार्य मृतक को ऐसी स्थिति में रखने के लिये आशायित होना चाहिए कि उसने आत्महत्या कारित कर ली। इसी क्रम में **गुरू चरन सिंह बनाम पंजाब राज्य २०१७(१) सी०सी०एस०सी० ४८ (एस०सी०)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा- ३०६ भा०दं०सं० में किसी व्यक्ति को दोषसिद्व करने के लिये अपराध करने का स्पष्ट दुराशय होना चाहिये एवं सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य होना चाहिए जिसके कारण मृतका ने कोई विकल्प शेष न रहने के कारण आत्महत्या किया।

१०- **धारा- ३०६ भा०दं०सं० आत्महत्या का दुष्प्रेरण-** आत्महत्या के अनुत्तेजन का घटक निम्न है। अभियोजन को यह साबित करना है कि-

(क) मृतक ने आत्महत्या की है,एवं

(ख) अभियुक्त ने आत्महत्या को करने में अनुत्तेजन का दोषी है या सहयोग किया है,और

(ग) अभियुक्त के द्वारा ऐसे बढ़ावा देने या उकसाने में सीधा शामिल होना आवश्यक है।

धारा- १०७ भा०दं०सं० किसी बात का दुष्प्रेरण- दुष्प्रेरण गठित होता है-

(क) किसी व्यक्ति को कोई अपराध कारित करने के लिये उकसाने से, अथवा

(ख) उसे करने के लिये षड़यन्त्र में शामिल होने से, अथवा

(ग) किसी व्यक्ति को उसे करने के लिये साशय सहायता देने से।

स्वेच्छया उपहति कारित करना- धारा- ३२३ के अपराध को गठित होने के लिये निम्न संघटक होना आवश्यक है-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाना,

(ख) ऐसा कार्य इस आशय से किया जाये कि उससे उपहति कारित हो जाये, एवं

(ग) उस व्यक्ति को अपने कार्य के बारे में ज्ञान था कि उसके कार्य से उपहति होना संम्भाव्य है।

धारा- ५०४ भा०दं०सं० लोक- शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान- यह धारा दो आवश्यकताओं की अपेक्षा करती है-

(क) किसी व्यक्ति का साशय अपमान करना,और इस तरीके से उसे प्रकोपन देना।

(ख) अपमान करने वाले व्यक्ति का यह आशय या यह सम्भाव्य होने की जानकारी होना चाहिये कि ऐसा प्रकोपन उस व्यक्ति द्वारा लोक शान्ति भंग होने या कोई अन्य अपराध कारित होने का कारण बनेगा।

आपराधिक अभित्रास- आपराधिक अभित्रास की निम्नलिखित आवश्यकतायें होती हैं-

१- किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी देना,

(क) उसके शरीर, ख्याति या सम्पत्ति या,

(ख) जिस व्यक्ति में वह हित रखता है उसके शरीर या ख्याति के प्रति क्षति की धमकी देना।

२- धमकी का आशय-

(क) उस व्यक्ति को संत्रास कारित करना, या

(ख) ऐसी धमकी के निष्पादन से बचने के लिये उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिये मजबूर किया जाना जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है, या

(ग) उस व्यक्ति को धमकी के निष्पादन से बचने के लिये कोई ऐसा कार्य करने का लोप के लिये मजबूर करना, जिसे करने के लिये वह बैध रूप से हक रखता है।

११- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मेरे तत्कालीन विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त राजू दीक्षित उर्फ चन्द्रप्रकाश के विरूद्व आरोप अन्तर्गत धारा- ३२३/ ३४, ५०४, ५०६, ३०६/ ३४ भा०दं०सं० दिनांक ०५- १२- २०२० को विरचित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी- १ वादी मुकदमा माधव सिंह को परीक्षित कराये जाने के उपरान्त वादी मुकदमा द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- ३१९ दं० प्र०सं० प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद आरोपीगण अमन पण्डित एवं बबलू पण्डित को उपरोक्त अपराध में तलब कर विचारण किये जाने की याचना की गई है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह ने अपने सशपथ बयान से **हस्तलिखित तहरीर प्रदर्श क- १** एवं अभिलेख पर उपलब्ध **पंचायतनामा मृतक अजय पाल प्रदर्श क- २** एवं वादी मुकदमा माधव सिंह का हस्तलिखित तहरीर कागज संख्या- २५ए जो मृतक की हस्तलेख का मिलान करने हेतु **विज्ञान की कापी जो प्रभारी थाना मोंठ के नाम सुपुर्द करने सम्बन्धित तहरीर प्रदर्श क- ३** तथा **फर्द लेने कब्जा एक अदद कापी हस्तलेख मृतक अजय सिंह प्रदर्श क- ४** को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। अभियोजन कथानक/ तहरीर प्रदर्श क- १ में मृतक अजय पाल के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी को गाँव के दीपू पुत्र हरिश्चन्द्र पाल व जसवन्त पुत्र किशोरीपाल तथा प्रेमशंकर पुत्र घनश्याम पाल द्वारा घटना को देखना एवं मृतक को घर लाने का कथन किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह ने अपने सशपथ बयान में यह भी कहा है कि घटना दिनांक १८- ०४- २० समय करीब शाम ६. ०० बजे की है। मैं बिजली विभाग में लाईन का काम करता हूँ उसी काम से गया था। जब हम शाम को ६. ०० बजे घर लौटकर आया था मेरा बेटा अजय पाल घर पर बैठा हुआ रो रहा था। मैनें अपने बेटे से पूंछा कि आप क्यों रो रहे हो। मेरे बेटे ने बताया कि पापा मैं घर पर था शाम करीब ५. ३० बजे अमन पुत्र बल्लू दीक्षित मेरे घर आया और मुझसे बोला कि मेरे पिताजी बल्लू पण्डित बुला रहे हैं घर चलो। वहाँ पर मेरे बेटे को लुवा ले जाकर अमन पुत्र बल्लू दीक्षित, राजू दीक्षित, अमन दीक्षित मेरे बेटे के साथ मारपीट की गाली गलौज की जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह ने अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकारा है कि जब घटना १८- ०४- २०२० को मेरे बच्चे के साथ हुई थी उस समय मैं घटनास्थल पर नहीं था। अपने काम पर गया था। अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह की घटनास्थल पर अनुपस्थिति होने की स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को उपरोक्त घटना की जानकारी दीपू, जसवन्त एवं प्रेमशंकर एवं मृतक के बताने पर हुई है तथा उसी जानकारी के आधार पर एवं मृतक द्वारा आत्महत्या करने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक २२- ०४- २०२० समय १८. १६ बजे पंजीकृत की गई है जिसका खुलाशा कायमी मुकदमा रपट नं०- ३३ समय १८. १६ बजे दिनांक २२- ०४- २०२० में किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या- १ माधव सिंह ने प्रति- परीक्षा में कहा है कि घटना १८

तारीख की है अगले दिन मैं १९ तारीख को एफ०आई०आर० करने थाना मोंठ गया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मैनें घटना की एफ०आई०आर० लिखकर दी थी या मौखिक बताई थी। पुलिस ने घटना की एफ०आई०आर० २१ तारीख महीना चार सन् २०२० को लिखी थी। २१- ०४- २०२० के बाद मैनें कोई एफ०आई०आर० नहीं दी। फिर कहा कि २२ तारीख को एफ०आई०आर० की थी। अभियोजन साक्षी संख्या- १ माधव सिंह ने प्रति- परीक्षा में यह भी कहा है कि मैनें विश्वविद्यालय चौकी में एफ०आई०आर० नहीं की थी। मेरा थाना मोंठ है इसलिये मैनें एफ०आई०आर० मोंठ थाने में कराई। झाँसी में नहीं कराई। सुसाईड मोंठ में नहीं किया। इस साक्षी ने इस सुझाव को गलत कहा है कि मैनें झाँसी में सुसाईड होने के बाद भी झाँसी में एफ०आई०आर० इसलिये न कराई हो क्योंकि मोंठ थाने में मैनें दिनांक १८- ०४- २०२० की मारपीट घटना की फर्जी तथ्य बताते हुये राजू दीक्षित व उनके परिवार के लोगों के विरूद्व पर पुलिस से मिलकर फर्जी एफ०आई०आर० कराई हो। पंचायतनामा तथा शव विच्छेदन रिपोर्ट में मुकदमा अपराध संख्या का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त रिपोर्टों में अपराध संख्या का उल्लेख न होने के कारण इस तथ्य का संकेत मिलता है कि अभियोजन कहानी उस समय तक भ्रूण अवस्था में थी और उसे कोई रूप नहीं दिया गया था जो इस निष्कर्ष को जन्म देता है कि विचार- विमर्श के उपरान्त घटनास्थल अर्थात मृतक की आत्महत्या का स्थान थाना- नवाबाद, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में होने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना- मोंठ में पंजीकृत कराई गई है। अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह की साक्ष्य अनुश्रृत साक्ष्य पर आधारित है। अनुश्रृत साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ग्राहय नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दीपू, जसवन्त एवं प्रेमशंकर की अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मृतक अजय पाल की मृत्यु की सूचना मुस्तरा ग्राम का चौकीदार फूलसिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद को दी गई है। पंचायतनामा हस्व सूचना फौती मैमो बहवाले नकल रपट समय ९. ३० दिनांक २१- ०४- २०२० के आधार पर किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह पंचायतनामा का गवाह है। राय पंचान में मृतक अजय पाल की मृत्यु पेड़ में लटकने से हुई है। पोस्टमार्टम की राय दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एण्टीमार्टम हैंगिग एस्फीसिया से मृत्यु होना कहा गया है तथा रासायनिक विश्लेषण हेतु विसरा सुरक्षित किया गया है। वादी मुकदमा ने दौरान पंचायतनामा किसी अभियुक्त का नाम नहीं बताया है।

१२- विवेचना के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी ने मृतक अजय पाल के हस्तलेख में आत्महत्या टिप्पड़ (Suicide Note) संकलित किया था। आत्महत्या टिप्पड़ जो अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त मामले में अवलम्ब लिया है वह निम्न अनुसार संदर्भ हेतु उद्धृत किया जाता है-

मेरे प्रिय मम्मी पापा मैं घर से अपनी मर्जी से नहीं भागा न ही मैनें अपनी मर्जी से आत्महत्या की है। इन सब की वजह राजू दीक्षित है। अंशु के मैटर में मैं कुछ नहीं जानता हूँ और न ही वो मेरे पास कभी आया वह तो अन्जू के पीछे आता था और मुझे फालतू में फंसा दिया नाम बेकार होने के कारण मैं ने आत्महत्या की है। मेरे पास २८०० रू० हैं। जो मेरे माँ बाप तक पहुँचा देना और मेरी बॉडी भी। मेरा नाम अजय पाल है। मेरे पिता का नाम श्री माधव सिंह पाल है। मेरी माता का नाम श्रीमती ममता देवी पाल है। मैं ग्राम रेव तहसील मोंठ, जिला- झाँसी का रहने वाला हूँ। मम्मी पापा मुझे माफ कर देना मेरा आखिरी नमस्कार।

१३- फर्द लेने कब्जा एक अदद कापी हस्तलेख मृतक अजय पाल **प्रदर्श क- ४** एवं सुपुर्दगी कापी मृतक अजय पाल **प्रदर्श क- ३** एवं सुसाईड नोट जिसे क्यू- १ एवं कापी के पृष्ठ ए- १ से ए- ५० तक के आधार पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा जाना बताया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि जहाँ मेरा लड़का का शव मिला था उसकी जेब से एक सोसाईड नोट मिला था। जो पुलिस को सोसाईड नोट मिला था वो मुझे दिखाकर अपने पास रख लिया था। उपरोक्त आत्महत्या टिप्पड़ क्यू- १

में आरोपीगण अमन पण्डित पुत्र बबलू पण्डित एवं बबलू पण्डित पुत्र सीताराम के नाम का उल्लेख नहीं है तथा मृतक द्वारा आत्महत्या कारित करने के लिये आरोपीगण के विरूद्व उकसाने या दुष्प्रेरित करने की भी कोई साक्ष्य नहीं है। विवेचक ने दौरान विवेचना केस डायरी के साथ संकलित शपथपत्र टीकाराम, रामस्वरूप, राधेलाल, महेन्द्र पाल सिंह, सुरेन्द्र सिंह एवं दुर्जन सिंह ने पंचायत में सीताराम के पुत्र राजू दीक्षित ने डांटा व फटकारा और कहा कि अगर आगे से छेड़खानी की या बदनामी की तो ठीक नहीं होगा समक्ष गवाहों के सामने अजय पाल के पिता माधव पाल ने कहा कि अब हमारा लड़का कोई गलती नहीं करेगा और हम घर जाकर उसको डांटेंगें,फटकारेंगें मौके पर हमारे गाँव के अमन पंडित व बबलू पंडित मौजूद नहीं थे बाद में दिनांक २१- ०४- २०२० हम लोगों को रात में जानकारी हुई कि अजय पाल ने झाँसी जाकर सखी के हनुमान मंदिर के पास आत्महत्या कर ली। उपरोक्त शपथपत्र विवेचक ने अन्तर्गत धारा- १६१ दं०प्र०सं० केस डायरी में भी अंकित किये गये। विवेचक ने साक्ष्य संकलित करके अभियुक्त राजू दीक्षित उर्फ चन्द्रप्रकाश दीक्षित के विरूद्व आरोपपत्र प्रेषित कर अभियोग की आंशिक विवेचना प्रचलित रखी गई है। तदोपरान्त विवेचक ने केस डायरी- १७ में स्वतन्त्र साक्षी हमीर सिंह, कमलेश धोबी, जितेन्द्र, सगुन सिंह, सुरेन्द्र सिंह, वीरपाल कुशवाहा एवं बण्टी आदिवासी के बयान अंकित कर आरोपी बल्लू दीक्षित उर्फ सत्यप्रकाश दीक्षित, अमन दीक्षित उर्फ आशीष के बयान अंकित कर अभियोग उपरोक्त में आरोपीगण बल्लू दीक्षित व अमन दीक्षित की नामजदगी गलत पाई गई। माल मुकदमाती वास्ते परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उल्लेख करते हुये रिपोर्ट जरिये एस०सी०डी० का कथन करते हुये अभियोग की विवेचना समाप्त की गई। फलस्वरूप अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह की साक्ष्य एवं अभियोजन कथानक/ प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुश्रृत साक्ष्य पर आधारित है। आत्महत्या टिप्पड़ क्यू- १ में आरोपीगण अमन पण्डित पुत्र बबलू पण्डित एवं बबलू पण्डित पुत्र सीताराम के नाम का उल्लेख नहीं है तथा मृतक द्वारा आत्महत्या कारित करने के लिये आरोपीगण के विरूद्व उकसाने या दुष्प्रेरित करने की भी कोई साक्ष्य नहीं है।

१४- उपरोक्त विवेचन, पत्रावली का अवलोकन, अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का परिशीलन करने तथा तर्कों को सुनने के उपरान्त एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के आलोक में यही निष्कर्षित होता है कि अभियोजन कथानक, आत्महत्या टिप्पड़ एवं अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह की मौखिक साक्ष्य से आरोपीगण अमन व बबलू द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र मृतक अजय पाल के साथ क्रूरता, अत्याचार, उत्पीड़न या दुष्प्रेरण के किसी कार्य का पता नहीं चलता, है, कि जिसके कारण मृतक को स्वयं को समाप्त करने का आश्रय लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष न रहने के कारण, निरन्तर उकसाया या आत्महत्या करने के लिए विवश या मजबूर किया गया है। आरोपीगण अमन व बबलू का कोई ऐसा सतत तथा प्रत्यक्ष आचरण या कार्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है कि मृतक की ऐसी दुखद अवस्था शारीरिक या मानसिक में धकेला गया था, जिससे मृतक ने स्वयं को समाप्त करने का चयन किया। आरोपीगण का अपराध कारित करने का स्पष्ट दुराशय एवं ऐसी सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य भी नहीं है जो मृतक को कोई अन्य विकल्प न पाकर आत्महत्या कारित करने के लिए उत्प्रेरित करता हो, और वही कार्य मृतक को आत्महत्या कारित करने के लिये विवश किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है। वादी मुकदमा की साक्ष्य अनुश्रृत साक्ष्य पर आधारित है। वह मृतक के साथ मारपीट करने एवं गाली- गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने से लेकर मृतक की आत्महत्या का वादी मुकदमा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। आत्महत्या टिप्पड़ में आरोपीगण अमन पण्डित व बबलू पण्डित के नाम का कोई उल्लेख नहीं है तथा मृतक को मारपीट करने तथा गाली- गलौज देने एवं जान से मारने की धमकी देने तथा मृतक को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने की कोई भूमिका दर्शित नहीं होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद आरोपीगण अमन व बबलू जिन्हें विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से नामजदगी गलत पाते हुये विवेचना में

छोड़ा गया है, आरोपपत्रित भी नहीं किये गये हैं उनके विरूद्व अभिलेख पर उपलब्ध किसी ठोस, तर्कसंगत, अकाट्य सामग्री के अभाव में आरोपीगण को दाण्डिक विचारण का सामना करने के लिये विवश करने से न्याय की विफलता होगी। फलस्वरूप न्याय की वृहद माँग को दृष्टिगत रखते हुए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा- ३१९ दं०प्र०सं० की वैवेकिक एवं असाधारण शक्ति का प्रयोग कर आरोपीगण अमन व बबलू को मारपीट, गाली- गलौज कर जान से मारने की धमकी तथा मृतक की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध में दाण्डिक विचारण हेतु समन करने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह जरिये विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- ३१९ दं०प्र०सं० कागज संख्या- २७बी/ १ लगायत २७बी/ २ खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन साक्षी संख्या- १ वादी मुकदमा माधव सिंह जरिये विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- ३१९ दं०प्र०सं० कागज संख्या- २७बी/ १ लगायत २७बी/ २ खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य/ जिरह दिनांक १६- ०२- २०२३ को पेश हो।

दिनांक- ०२- ०२- २०२३

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।

लक्ष्मी आशुलिपिक,